



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062022-236885
CG-DL-E-28062022-236885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2784]
No. 2784]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2022/आषाढ़ 7, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2022/ASHADHA 7, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 जून, 2022
(आयकर)

का.आ. 2926(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड संख्या 70/2014, दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना में, जो कि संख्या का.आ. 2915(अ) दिनांक 13 नवम्बर, 2014 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी में, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची-II के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“अनुसूची-II

क्र.सं.	मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)	मुख्यालय	प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), दिल्ली	दिल्ली	(i) प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), दिल्ली-1 (ii) प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), दिल्ली-2	दिल्ली दिल्ली

2 .	मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-2, दिल्ली	दिल्ली	(iii) प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), दिल्ली-3	दिल्ली
3.	मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), मुंबई – 1	मुंबई	(iv) प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), मुंबई – 1	मुंबई
			(v) प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), मुंबई – 2	मुंबई
4.	मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), मुंबई – 2	मुंबई	(vi) प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), मुंबई – 3	मुंबई
			(vii) प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), मुंबई – 4	मुंबई”

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हो जाएगी।

[अधिसूचना सं. 71/2022/फा. सं. 187/3/2020-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

नोट : अधिसूचना संख्या 70/2014, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2915(अ) दिनांक 13 नवम्बर 2014 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और जो कि शुद्धि पत्र का आ.2922 (अ) दिनांक 15 नवम्बर, 2014 के साथ पठित थी और अंतिम रूप से अधिसूचना सं. 14/2021 द्वारा का.आ.1160 (अ) दिनांक 11 मार्च, 2021 के माध्यम से संशोधित की गई थी जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) में का.आ.1160 (अ) दिनांक 11 मार्च, 2021 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।